प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 54 /2021)

तत्काल जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने " अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5 जी के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 30 नवंबर 2021 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5 जी के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 13 सितंबर 2021 के माध्यम से, भादूविप्रा से "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5 जी के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी " पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामियों के संबंध में सरकार के दूरसंचार रिफॉर्म निर्णयों के बारे में सूचित किया एवं भादूविप्रा से अनुरोध किया कि इन रिफॉर्म निर्णयों का ध्यान रखते हुए सिफारिशें प्रदान करें। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया है:

क) आईएमटी/ 5 जी के लिए 526-698 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300-3670 मेगाहर्ट्ज़ और 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड प्लान, ब्लॉक आकार, स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित ।

ख) औद्योगिक परिसर में मशीन/प्लांट ऑटोमेशन उद्देश्यों/एम2एम में कैप्टिव 5जी अनुप्रयोगों के लिए, स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा/बैंड, यदि कोई हो, जिसको निजी कैप्टिव/प्रथक 5जी नेटवर्कों को निर्धारित किया जा सकता है, उसके आवंटन की प्रतिस्पर्धी/पारदर्शी पद्धति, और मूल्य निर्धारण हेतु ।

ग) 30 साल की वैधता के साथ स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान के बाद लागू अधिस्थगन अवधि, आस्थगित भुगतान किस्तों की संख्या और अन्य संबंधित तौर-तरीकों जैसी संबंधित शर्तें।

घ) स्पेक्ट्रम के समर्पण के लिए प्रावधान बनाने के लिए, स्पेक्ट्रम के ऐसे समर्पण के लिए शर्तें, और शुल्क।

ङ) नवीनतम आईटीयू-आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित नियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें।

3. इस संबंध में, **" अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5 जी के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी"** पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in.) पर रखा गया है जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगा गया है। इस परामर्श पत्र में उपर्युक्त मुद्दों पर हितधारकों के विचार के लिए विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 28 दिसंबर 2021 तक लिखित टिप्पणियां और 11 जनवरी 2022 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण / सूचना के लिए श्री एस टी अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या : +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

RAGHUNANDAN VARTHAKAVI

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा